


**कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बलरामपुर-रामानुजगंज,
मुख्यालय बलरामपुर, (छ0ग0)**

:- प्रेस विज्ञापित :-

कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर, छत्तीसगढ़ का पत्र क्र/ऑ. ला.पो.मै.छा./118/2021-22/900 नया रायपुर, दिनांक 23.06.2021 के अनुसार वर्ष 2020-21 छ0ग0 राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई. मे अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 लॉकडउन के कारण/महाविद्यालयों में प्रवेश विलम्ब तथा परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने के कारण शिक्षा सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति हेतु वंचित विद्यार्थियों के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://mpsc.mp.nic.in/CGPMS> वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है। जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा लंबित विद्यार्थियों हेतु वर्ष 2020-21 में निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गयी है -

क्र.	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	पात्र लंबित विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण)	दिनांक 25.06.2021-01.07.2021 तक
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 25.06.2021-03.07.2021
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 25.06.2021-07.07.2021
4	संस्थाओं द्वारा KYC जमा करने हेतु	दिनांक 07.07.2021-08.07.2021 तक


निर्धारित तिथियों के पश्चात् उक्त पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षा सत्र 2020-21 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे एवं Draft Proposal, Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वयं जिम्मेदार होंगे।


सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
बलरामपुर-रामानुजगंज

पृ.क्रमांक/362/पो.मै.छा./आ.वि./न.क. /2021-22
प्रतिलिपि :-

बलरामपुर दिनांक 23/06/2021

1. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन नया रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सहायक संचालक, जनसंपर्क कार्यालय बलरामपुर को प्रकाशनार्थ।
4. सर्व प्राचार्य समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
बलरामपुर-रामानुजगंज